संख्या 5267/जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2019

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक–260320124334 दिनांक 03.08.2026 एवं पंजीकरण क्रमांक 241217104520, दिनांक 03.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें **इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई0एच0एम0एस0 परिसर, बलभद्रपुर, कोटद्वार को बी0एच0एम0, बी0सी0ए0, बी0एससी0(आई0टी0) एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई0एच0एम0एस0 परिसर, बलभद्रपुर, कोटद्वार।	बी0एच0एम0	90 सीट	2026–27
		बी0सी0ए0	120 सीट	
		बी0एससी0–आई0टी0	60 सीट	
		बी0बी0ए0	60 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

File No. RB-EDUC02/467/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 901)

- "प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 2549/2026, दिनांक 20.08.2026 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संस्थान को प्रदान की गई अंतरिम राहत के क्रम में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संस्थान से प्राभूति राशि हेतु निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, ताकि असामान्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्त्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत् छात्रां के हितों की रक्षा की जा सके।"
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 27-10-2026
14:42:26

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 5267 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 27-10-2026
15:56:34

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

File No. RB-EDUC02/467/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 901)